



संख्या 3445/जी0एस0(शिक्षा)/A3-48/2018

प्रेषक,

स्वाति एस0 भदौरिया,
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक 12 जून, 2025

महोदय,

कृपया कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव, पंजीकरण क्रमांक 240103032538, दिनांक 15.01.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें चाणक्य लॉ कॉलेज, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर को बी0ए0-एलएल0बी0, बी0बी0ए0-एल0एल0बी0, एल0एल0बी0 एवं एल0एल0एम0 पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराये गये हैं।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या	अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की अवधि
1	2	3	4	5
01	चाणक्य लॉ कॉलेज, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर।	बी0ए0-एल0एल0बी0	60 सीट	2024-25
		बी0बी0ए0-एल0एल0बी0	60 सीट	
		एल0एल0बी0	180 सीट	
		एल0एल0एम0	30 सीट	

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय, संस्थान से यू0जी0सी0 विनियम एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्राभूति राशि, शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए बंधक रखवना सुनिश्चित करेगा, विश्वविद्यालय अग्रेत्तर सत्र का प्रस्ताव प्राभूति सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की दशा में ही मा0 कुलाधिपति सचिवालय को अग्रसारित करें, प्राभूति अपूर्ण होने की दशा में

शैक्षिक सत्र 2025-26 के प्रस्ताव पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

भवदीया,

Digitally signed by
Swati Srivastava Bhadauria
Date: 12-06-2025 16:39:43 (स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या : 3445(1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-48/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य-सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

— ६० —

(लक्ष्मण राम आर्य)

कुलाधिपति के अनुसचिव।